/ /समय–सीमा/ /

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 01–01/2017/17/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 27/04/2018

प्रति,

1/ समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

2/ समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषयः–तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के नियमितीकरण बावत्।

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि आपकी ओर से तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त जानकारी के आधार पर विभागीय आदेश दिनांक 26.12.2017 द्वारा 49 चिकित्सा अधिकारियों का नियमितीकरण किया गया। तद्उपरांत भी तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमितीकरण किये जाने हेतु अभ्यावेदन विभाग में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अतः शेष चिकित्सकों का अंतिम बार नियमितीकरण किया जाना है।

उपरोक्त के संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले के अंतर्गत तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की संपूर्ण जानकारी आपको पूर्व में प्रेषित निर्धारित में विशेष वाहक के हस्ते **7 दिवस के भीतर अनिवार्यतः अद्योहस्ताक्षरकर्ता को** उपलब्ध कराने का कष्ट करें, तथा विशेष ध्यान रखा जाये कि कोई चिकित्सक शेष न रह जावे।

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग